

आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024
संबंधी एक्सपोजर प्रारूप
Exposure Draft on IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party
Obligations) Regulations, 2024

आईआरडीएआई द्वारा की जा रही विनियमों की विस्तृत समीक्षा के भाग के रूप में, यह सुनिश्चित करते हुए भी कि पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण निरंतर जारी रहे, व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि करने और साथ ही, हितधारकों के लिए अनुपालन का भार कम करने के लिए भी, बीमा परिषदों से कहा गया था कि वे अपने द्वारा गठित विनियम समीक्षा समिति (आरआरसी) के माध्यम से अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें।

As part of the comprehensive review of Regulations being undertaken by the IRDAI, to enhance the ease of doing business and also reduce compliance burden for stakeholders while also ensuring that interests of policyholders continues to be protected, Insurance Councils were asked to submit their recommendations through the Regulations Review Committee (RRC) constituted by them.

उद्योग की सिफारिशों पर आंतरिक रूप से विचार-विमर्श किया गया है। यह देखा गया कि “सबके लिए बीमा” का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक नई रणनीति आवश्यक है। अतः बीमा अधिनियम, 1938 की धाराओं 32बी, 32सी और 32डी में प्रतिष्ठापित उक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक नया दृष्टिकोण अभिकल्पित किया गया है।

The recommendations of the industry have been deliberated internally. It was viewed that a new strategy is necessary to achieve the objective of “Insurance for All”. A fresh approach in order to achieve the objective enshrined in Sections 32B, 32C and 32D of the Insurance Act, 1938 was therefore devised.

2. आवश्यक चर्चाएँ करने के बाद, **आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024** का प्रारूप बनाया गया है। उपर्युक्त प्रारूप में प्रस्तावित कुछ बड़े परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

After necessary discussions, the draft of **IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024** has been formulated. The following are some of the major changes proposed in the said draft:

क. ग्रामीण क्षेत्र / A. Rural Sector

- 1) ग्रामीण क्षेत्र के मापन के लिए यूनिट अब ग्राम पंचायत होगा;
The unit for measurement of rural sector will now be gram panchayat;
- 2) जीवन बीमाकर्ताओं के लिए, वैयक्तिक पालिसियों के अंतर्गत और समूह पालिसियों के अंतर्गत जीवनों की संख्या को माना जाएगा;
For life insurers, number of lives under individual policies and under group policies will be considered;
- 3) साधारण बीमाकर्ताओं के लिए, अग्नि खंड के अंतर्गत वैयक्तिक निवासों और मोटर बीमा खंड के अंतर्गत वाहनों की संख्या को गिना जाएगा;
For general insurers, number of individual dwellings under fire segment and number of vehicles under motor insurance segment will be counted;
- 4) साधारण और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा (एसएचआई) कंपनियों के लिए, दायित्वों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य बीमा और वैयक्तिक दुर्घटना के अंतर्गत जीवनों की संख्या को विचारार्थ अलग-अलग लिया जाएगा;

For general and SAHI companies, number of lives separately under health insurance and personal accident will be taken into consideration for achieving the obligations;

- 5) जीवन बीमा – देश में सभी ग्राम पंचायतों में सभी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा कवर किये जानेवाले जीवनों की न्यूनतम संख्या प्रथम वर्ष में अग्रणी बीमाकर्ता द्वारा संचालित रूप में न्यूनतम 25,000 ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत में 30% होगी। यह वर्ष 2 और 3 में क्रमशः न्यूनतम 50,000 ग्राम पंचायतों के अधीन 40% जीवनों तक तथा न्यूनतम 75,000 ग्राम पंचायतों के अधीन 50% जीवनों तक बढ़ जाता है;

Life Insurance - The minimum number of lives to be covered by all life insurers in all gram panchayats in the country shall be 30% in each gram panchayat subject to a minimum of 25,000 gram panchayats as driven by lead insurer in the first year. This increases to 40% lives subject to a minimum 50,000 gram panchayats and 50% lives subject to a minimum of 75,000 gram panchayats in year 2 and 3 respectively.

- 6) साधारण बीमा – देश में सभी ग्राम पंचायतों में सभी साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा कवर किये जानेवाले अग्नि बीमा के अंतर्गत निवासों और मोटर (व्यापक और टीपी) के अंतर्गत वाहनों की न्यूनतम संख्या प्रथम वर्ष में अग्रणी बीमाकर्ता द्वारा संचालित रूप में न्यूनतम 25,000 ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत में 30% होगी। यह वर्ष 2 और 3 में क्रमशः अग्नि बीमा के अंतर्गत निवासों और मोटर (व्यापक और टीपी) के अंतर्गत वाहनों के लिए न्यूनतम 50,000 ग्राम पंचायतों के अधीन 40% निवासों तक तथा न्यूनतम 75,000 ग्राम पंचायतों के अधीन 50% जीवनों तक बढ़ जाता है।

General Insurance - The minimum number of dwellings under fire insurance and vehicles under Motor (Comprehensive and TP) to be covered by all general insurers in all gram panchayats in the country shall be 30% in each gram panchayat subject to a minimum of 25,000 gram panchayats as driven by lead insurer in the first year. This increases to 40% dwellings under fire insurance and vehicles under Motor (Comprehensive and TP) subject to a minimum 50,000 gram panchayats and 50% lives subject to a minimum of 75,000 gram panchayats in year 2 and 3 respectively.

- 7) स्वास्थ्य बीमा – देश में सभी ग्राम पंचायतों में सभी साधारण और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा (एसएचआई) बीमाकर्ताओं द्वारा कवर किये जानेवाले स्वास्थ्य और वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत जीवनों की न्यूनतम संख्या प्रथम वर्ष में अग्रणी बीमाकर्ता के द्वारा संचालित रूप में न्यूनतम 25,000 ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत में 30% होगी। यह वर्ष 2 और 3 में क्रमशः स्वास्थ्य और वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत न्यूनतम 50,000 ग्राम पंचायतों के अधीन 40% जीवनों तक तथा न्यूनतम 75,000 ग्राम पंचायतों के अधीन स्वास्थ्य और वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत 50% जीवनों तक बढ़ जाता है।

Health Insurance - The minimum number of lives under health and personal accident insurance to be covered by all general and SAHI insurers in all gram panchayats in the country shall be 30% in each gram panchayat subject to a minimum of 25,000 gram panchayats as driven by lead insurer in the first year. This increases to 40% lives under health and personal accident insurance subject to a minimum 50,000 gram panchayats and 50% lives under health and personal accident insurance subject to a minimum of 75,000 gram panchayats in year 2 and 3 respectively.

ख. सामाजिक क्षेत्र / B. Social Sector

- 8) सामाजिक क्षेत्र के लिए मापन का यूनिट सभी बीमाकर्ताओं के लिए जीवनों की संख्या के रूप में जारी रहेगा।

The unit of measurement for social sector continues to be number of lives for all insurers.

- 9) चूँकि सभी बीमाकर्ता उक्त सामाजिक सुरक्षा दायित्वों को पूरा करने के लिए सक्षम रहे हैं, अतः सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत कवर किये जानेवाले जीवनों की संख्या एक अधिसूचना के बाद वर्ष 1 में 20% तक बढ़ाई गई है।

Since all insurers have been able to achieve the social sector obligations, the number of lives to be covered under social sector have been increased to 20% in year 1 after notification.

- 10) सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेवाई), आदि से संबंधित बीमा व्यवसाय जहाँ कुल / आंशिक प्रीमियम का भुगतान कवर किये गये सदस्यों/लाभार्थियों द्वारा किसी अंशदान के साथ/बिना सरकार द्वारा किया जाता है, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों के लिए माना जाएगा।

Insurance business pertaining to Government social security schemes such as Pradhan Mantri Awas Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJY), etc. where total/partial premium is paid by the Government, with/without any contribution from the members/ beneficiaries covered shall be considered for rural and social sector obligations.

- 11) बीपीएल कार्डधारकों, मनरेगा कार्डधारकों, ई-श्रम कार्डधारकों, डीबीटी लाभार्थियों, आयुष्मान भारत कार्डधारकों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाभार्थियों, जन धन खाताधारकों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों, पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आदि को जारी की गई, जीवनों को कवर करनेवाली बीमा पालिसियाँ सामाजिक क्षेत्र दायित्व के लिए अर्हता-प्राप्त होंगी।

Insurance policies covering lives issued to BPL cardholders, MNREGA cardholders, eShram cardholders, DBT beneficiaries, Ayushman Bharat cardholders, Pradhan Mantri Mudra Yojana beneficiaries, Jan Dhan account holders, beneficiaries of PM Kisan Samman Nidhi Yojana, PM Viswakarma Yojana, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, etc would qualify for Social Sector Obligation.

- 12) जारी की गई सूक्ष्म बीमा पालिसियाँ सामाजिक क्षेत्र दायित्वों हेतु गणना करने के लिए पात्र हैं।
Micro insurance policies issued are eligible to be reckoned for Social Sector obligations.

- 13) बीमा वाहकों के माध्यम से बेची गई बीमा पालिसियाँ ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों के लिए गिनी जाएँगी।

Insurance policies sold through Bima Vahaks will be counted towards rural and social sector obligations

ग. मोटर अन्य पक्ष दायित्व / C. Motor Third Party Obligations

- 14) मोटर अन्य पक्ष बीमा के संबंध में, माल की दुलाई करनेवाले और यात्रियों को ले जानेवाले वाहनों के लिए दायित्व विनिर्दिष्ट किये गये हैं क्योंकि इन दोनों श्रेणियों में लगभग 50% वाहन अभीमाकृत हैं। वे मोटर बीमा व्यवसाय के महत्वपूर्ण खंड हैं तथा उनके संबंध में अन्य पक्ष दावों के लिए संभावना विद्यमान है।

With regard to motor third party insurance, the obligations are specified for goods carrying and passenger carrying vehicles as nearly 50% of the vehicles in these 2 categories are uninsured. They are important segments of the motor insurance business and are exposed to third party claims.

- 15) अतः प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता के लिए अपेक्षित है कि वह पिछले वित्तीय वर्ष में कवर किये गये मालवाहक या यात्रीवाहक वाहनों की तुलना में मालवाहक और यात्रीवाहक वाहनों की कुल संख्या में कम से कम 20% का अधिक अथवा इन श्रेणियों के अंतर्गत 20,000 वाहनों अथवा प्रत्येक श्रेणी में 10,000 वाहनों, जो भी अधिक हो, का जोखिम-अंकन करे।
Every general insurer is therefore required to underwrite at least 20% increase over total number of goods carrying and passenger carrying vehicles as compared to what was covered in the last financial year or 20,000 vehicles under these categories or 10,000 vehicles in each category, whichever is higher.
- 16) **नये** मालवाहक और यात्रीवाहक वाहनों के कवरेज को मोटर टीपी दायित्वों के लिए नहीं गिना जाएगा।
Coverage of **new** Goods Carrying and Passenger Carrying vehicles shall not be counted towards Motor TP obligations.
- 17) मोटर टीपी दायित्व की पूर्ति में अंशदान वर्तमान वाहनों का नवीकरण और अभीमाकृत वाहनों का बीमा करने के द्वारा किया जाएगा, बशर्ते कि बीमा में अंतराल कम से कम 30 दिन का हो।
Motor TP obligation fulfilment shall be contributed by renewal of the existing vehicles and uninsured vehicles that are insured provided the gap in insurance is at least 30 days.
- 18) प्रत्येक नया बीमाकर्ता अपने परिचालनों के प्रथम वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 10,000 मालवाहक और 10,000 यात्रीवाहक वाहनों का जोखिम-अंकन करेगा।
Every new insurer shall underwrite a minimum of 10,000 goods carrying and 10,000 passenger carrying vehicles in the first financial year of its operations.
- 19) किसी भी स्वास्थ्य, पुनर्बीमा, कृषि, निर्यात ऋण गारंटी बीमाकर्ता को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32डी की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।
Any health, re-insurance, agriculture, export credit guarantee insurer is exempted from the applicability of section 32D of Insurance Act, 1938

घ. दायित्वों को पूरा करने का विकल्प / D. Option to fulfill the obligations

- 20) बीमाकर्ताओं को 20% की सीमा तक अधिशेष में से दायित्व खरीदने और बेचने की अनुमति है।
The insurers are allowed to buy and sell the obligations from out of the surplus to the extent of 20%;
- 21) बीमाकर्ता जिसने दायित्व बेच दिये हों, बीमाकर्ता के रूप में जारी रहेगा तथा वह बीमा पालिसी की सर्विसिंग करने और उसके अंतर्गत दावे का निपटान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
The insurer who has sold the obligations will continue to be the insurer and shall be responsible for servicing the insurance policy and settling claim under it.
3. **आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024** का एक्सपोज़र प्रारूप अनुबंध क के रूप में इसके साथ संलग्न है। उक्त एक्सपोज़र प्रारूप पर विभिन्न हितधारकों और जनसाधारण के विचार/ टिप्पणियाँ आमंत्रित हैं। टिप्पणियाँ/सुझाव, यदि कोई हों, 27 फरवरी 2024 को या उससे पहले श्री विभूति प्रकाश श्रीवास्तव को अनुबंध ख के अनुसार फार्मेट (इसके साथ संलग्न) में vpsrivastava@irda.gov.in पर भेजा जाए और उसकी प्रति श्री डी. एस. मूर्ति को dsmurthy@irdai.gov.in को प्रेषित की जाए।
The exposure draft of the **IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024** enclosed herewith as Annexure A. The views/comments of the various stakeholders and the general public are invited on the exposure draft. The comments/suggestions, if any, may be sent on or before 27th February, 2024 to Mr. Vibhuti Prakash Srivastava at vpsrivastava@irdai.gov.in with a copy to Mr. D.S. Murthy at dsmurthy@irdai.gov.in in the format as per Annexure B (attached herewith).